मध्य प्रदेश को लेवी-चीनी की आपूर्ति

742. **श्री राघवजी :** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से लेवी चीनी की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर क्या कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने यह शिकायत भी की है कि उन्हें आबंटित चीनी कोटा को उठाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है जिससे कोटा रद्द हो जाता है, और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार इसमें सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) राज्य की वर्तमान जनसंख्या कितनी है और 1994 के वर्ष में अब तक प्रत्येक माह चीनी की कुल कितनी मात्रा का आबंटन किया गया है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी हां। मध्य प्रदेश सरकार ने 1994 की आबादी के आधार पर राज्य को लेवी चीनी के आबंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है। लेवी चीनी की उपलब्धता में बाधाओं के कारण मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के आबंटन में वृद्धि करने के अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं हुआ है ।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें मध्य प्रदेश शामिल है, को लेवी चीनी के आबंटन का निर्मुक्ति आर्डर आमतौर पर 45 दिन पहले जारी कर दिया जाता है, ताकि राज्य सरकारें उपभोक्ताओं में वितरण के लिए चीनी मिलों से चीनी के आबंटित कोटे को उठाने का प्रबंध कर सकें। लेवी चीनी के कोटे को वैधता अवधि को केन्द्रीय सरकार को अनुरोध प्राप्त होने पर सामान्यतया बढ़ा दिया जाता है । मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर कुछ महीनों में वैधता अवधि को बढ़ा दिया गया था ।

(घ) 1991 की आबादी के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल आबादी 661.81 लाख है । अप्रैल, 1994 से मध्य प्रदेश राज्य का लेवी चीनी का सामान्य मासिक कोटा 25031 मी० टन है । राज्य सरकार को अगस्त, 1991 से मार्च, 1994 तक 1252 मी० टन प्रति महीने की दर से लेवी चीनी के आबंटन में 5% की तदर्थ वृद्धि दी गई थी । तदर्थ वृद्धि को अप्रैल, 1994 से वापिस ले लिया गया है ।

सुपर बाजार में शिकायत दर्ज कराने संबंधी सुविधाएं

743. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री 2 मई, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 5223 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार द्वारा शिकायतें दर्ज किए जाने की कोई प्रणाली आरंभ की गई है और क्या ऐसी कोई प्रणाली नियंत्रण-कक्ष में भी विद्यमान है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान नियंत्रण-कक्ष में दर्ज की गई शिकायतों का वर्ष-वार शिकायत-वार ब्यौरा क्या है ; और क्या शिकायतों की पावती भेजी जाती है और शिकायतकर्ताओं को की गई कार्यवाही की जानकारी दी जाती है ;

(घ) क्या यह सच है कि नियंत्रण-कक्ष में तैनात कर्मचारी उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने से मना करते हैं और

उपभोक्ताओं को टेलीफोन पर अपमानित किया जा रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि सुपर बाजार में क्षेत्रीय वितरण केन्द्रवार तथा शाखावार शिकायतें दर्ज करने की प्रणाली मौजूद है। नियंत्रण कक्ष में ऐसी कोई प्रणाली नहीं है।

(ख) नियंत्रण कक्ष मुख्यालय के परिसर में स्थापित किया गया है, जो संबंधित शाखाओं तथा क्षेत्रीय वितरण केन्द्रों से बिक्री तथा स्टाक की स्थिति को एकत्र करने का कार्य करता है। यह आंतरिक प्रयोग के लिए है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Installation of Alpha Numerical Machines in Super Bazar and Qendriya Bhandar

744. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Super Bazar and Kendriya Bhandar have not installed the Alpha Numerical Machines which give the names of the items and their rates in all their branch stores in spite of heavy profits being earned by them;

(b) if so, the reasons thereof;

(c) the number of complaints received about overcharging during the last three years branch-wise and the action taken thereon;

(d) whether there is no time-table for the mobile vans of these cooperative stores which keep people waiting helplessly;

(e) if so, the remedial steps taken in this regard;

(f) whether the number of mobile vans held by Kendriya Bhandar is for less than the Super Bazar, but its profits are more than Super Bazar;

(g) if so, the steps taken to purchase more mobile vans to serve the people of Delhi effectively; and

(h) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) and (b) Installation of Alpha Numerical Machines depends on the availability of resources since it involves high cost. However, Super Bazar and Kendriya Bhandar have already installed 55 and 35 such machines respectively. More such machines will be installed on availability of funds.

(c) During last three years, Super Bazar has received 14 complaints about overcharging the customers by the employees of Super Bazar, while in case of Kendriya Bhandar it was 16. On receipt of the complaints, Super Bazar and Kendriya Bhandar have initiated disciplinary action against the concerned employees.

(d) and (e) No, Sir. There is weekly laid down schedules for movement of mobile vans in respect of both Super Bazar and Kendriya Bhandar.

(f) to (h) Kendriya Bhandar is a welfare project for the benefit of the Central Government employees Branches of the Kendriya Bhandar are located in a number of Government colonies in Delhi. Hence, requirements of mobile van is much less in case of Kendriya Bhandar.